

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:-

मा0मु0घो0 ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती हेतु मोटर मार्ग नवनिर्माण हेतु 0.210 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.035 एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.15 हे0 कुल 0.260 हे0 वन पंचायत/सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम का नाम- पनाई मल्ली

तहसील- कर्णप्रयाग

जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में मा0मु0घो0 ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक निर्माण हेतु 0.210 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.035 है0 सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.015 हे0 कुल 0.260 हे0 वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

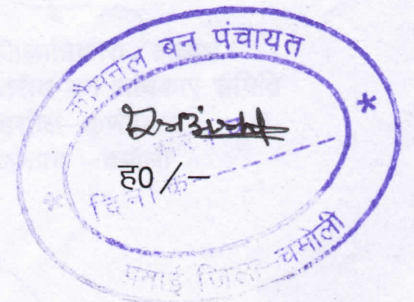
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पनाई मल्ली द्वारा दिनांक.....15-5-19.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पनाई मल्ली के ग्रामवासियों को उक्त भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

Mamta Arora
ममता आर्य
सभासद वार्ड नं०-1
बजर पालिका परिषद, गौचर



प्रपत्र-23.1

दिनांक 15-5-19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम - पनाई मल्ली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	श्री विन्धीमान झा	विन्धी
(2)	" विनोद कुमार	विनोद
(3)	" जयलाल	जयलाल
(4)	" गजपाल लाल	गजपाल
(5)	" रीशाल लाल	रीशाल लाल
(6)	" विष्णु लाल	विष्णुलाल
(7)	" दिनेश लाल	दिनेश लाल
(8)	" अनुराग लाल	अनुराग
(9)	" प्रेम लाल	प्रेमलाल
(10)	" सुरेश कुमार	Shree
(11)	" देवेश कुमार	Devesh Kumar
(12)	" राजीव कुमार	Rajiv Kumar
(13)	" राज कुमार	Raj Kumar
(14)	" रमेश लाल	रमेशलाल
(15)	" सुदीप	सुदीप
(16)	"	
(17)	रौशनलाल	रौशन
(18)	विजय कोहली	विजय कोहली
(19)	संतोष लाल	संतोष
(20)		

ह0/-

Mamta Arora

ममता आर्य

सभासद वार्ड नं०-1

नगर पालिका नरसिंहापुरा

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0मु0घो0 ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.210 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.035 हे0 सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.015 हे0 कुल 0.260 हे0 वन पंचायत/सिविल वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग, दिनांक 23/01/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री तंभव मल्ला उपजिलाधिकारी..... अध्यक्ष
- 2- श्री ----- उप प्रभागीय वनाधिकारी-----
- 3- श्री चन्द्रशेखर सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी-----
- 4- श्री ----- बी0डी0सी0 क्षेत्र -----

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा0मु0घो0 ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.260 हे0 वन पंचायत/सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 गौचर, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा पनाई मल्ली के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0मु0घो0 ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग से ग्राम पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.260 हे0 वन पंचायत/सिविल वन भूमि का लो0नि0वि0 गौचर को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

FORM-1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No---

Dated-05/08/2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.260 hectares of Civil/ Vanpanchayat land proposed to be diverted in favor of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of motor road "**Gauchar-Sidoli Motor road to Panai Anusuchit Jati Basti Motor road**" in Chamoli district falls within jurisdiction "panai malli , in **Karanparyag** tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.260 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Panai Malli ' sub- Division level Committee Karanparyag and the District Level Committee are enclosed as annexure ...toannexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला अधिकारी
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वरा

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)**

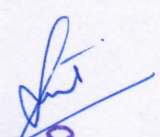
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Smt. Swati S. Bhadoriya, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 5/8/2020 at time 15:00 hrs. at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 0.610 hect for the construction of motor road **"Gauchar-Sidoli Motor road to Panai Anusuchit Jati Basti Motor road"** and forest land 0.260 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanparyag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

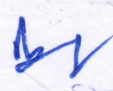
Place: Gopeshwar

Dated: 5/8/2020


जिला अधिकारी

चमोली

**District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee**


प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।